RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-04
Issue-06
June-2019

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[UGC Listed Journal]

वर्त्तमान समय में महिलाओं की दशा

कुमारी रेखा

शोधार्थी, गृह विज्ञान विभाग, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा

ARTICLE DETAILS

Article History
Published Online: 12 June 2019

Keywords
नारी शोषण, अत्याचार, हिंसा

ABSTRACT

महिलाओं के प्रति पुरूषों का यह दुराग्रह पूरे समाज के आचरण में झलकता है। परिवार, समाज तथा सार्वजनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में लड़कियों व महिलाओं को महत्वहीन समक्षना, उनके परिश्रम तथा कौशल का कोई मूल्य न आंकना, उन्हें केवल भाग तथा वंश को आगे बढ़ाने का साधन मानना, लड़को की राय को लड़कियों की राय से अधिक महत्व देना, दहेज वेश्यावृति, विधवा विवाह रोक, सती जैसी सामाजिक परंपराओं के जाल में उन्हे बाँध कर रखना तथा इसी तरह की असंख्य प्रथाएँ एवं मान्यताएँ पुरूष को शासक और महिला को शासित बनाती है। कुछ चिंतनशीन लोगों के प्रयासों से महिला अधिकारों के बारे में जागरूकता कर स्तर बढ़ने और न्याय व अधिकार पाने की संधर्षशीलता में वृद्धि के बावजूद यह नही लगता कि नारी शोषण, अत्याचार, हिंसा और भेदभाव से मुक्त हो गई हैं। आंकड़ो पर भरोसा किया जाए तो तस्वीर अधिक भयावह बनकर सामने आती है।

भारत में आजादी के छः दशको से अधिक की कालावधि में महिलाओ की सामाजिक स्थिति में आया बदलाव उत्साह तो जगाता है किंतु उससे यह आश्वासन नही मिलता कि इस दौरान जो रात संध्या में बदली है, वह दोपहर का रूप लेगी। फिर भी यह डंके की चोट पर कहा ही जा सकता है कि महिलाएँ पहले से कही अधिक जागरूक है और उसमें अपने को बदलने की चिंगारी फूट चुकी है। अपने अधिकारों और अस्तित्व की इस पहचान व जागरूकता को नारी समानता की यात्रा बहुत दूर दिखाई दे रही है। यह इस लिए कि नारी के चिंतन और दृष्टि में तो परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है किंतु भारतीय समाज के सामूहिक सोंच में वह आज भी महिलाओं को अपने से दुर्वल हेय, कमतर और अधीनस्थ मानते है। पुरूष के लिए महिला एक व्यक्ति नही है, बस वह महिला है।

पिछले पाँच दशकों में महिलाओं का यौन शौषण, छेड़छाड़, दहेज के कारण बहुओं को तंग करने या मार डालने की घटनाएँ, कामकाजी औरतों का शोषण, बलात्कार, बाल वेश्यावृत्ति जैसे रूपों मे महिला उत्पीड़न में वृद्धिहुई है। स्थिति की गंभीरता समझने के लिए ज्वलंत तथ्यो पर नजर डालता पर्याप्त होगा।

- देश में हर 47 मिनट के बाद एक बलात्कार होता है।
- हर 44 मिनट बाद एक महिला का अपहरण होता है।
- प्रतिदिन औसतन 17 दहेज हत्याएँ होती है।
- 60 प्रतिशत कामकाजी महिलाएँ किसी न किसी तरह के यौन शोषण का शिकार होती है।
- देश में करीब 20 लाख वेश्याओ मे से लगभग 15 प्रतिशत बाल वेश्याएँ है।[(1)]

परंतु यह भी सच है कि समूचे समाज तथा समाज के विभिन्न अंगो में महिलाओं के प्रति होने वाली ज्यादतियों के बारे मे पहले से कही अधिक जागरूकता आई और इनकी रोकथाम की दिशा में उनकी सक्रियता भी बढ़ी है, कि जनसंख्या वृद्धि तथा दूसरे कारणों से अपराधों में होने वाली बढ़ोतरी के फलस्वरूप इस सक्रियता के सकारात्मक परिणाम महसूस नही किए जा रहे है।

सबसे पहले स्वयं महिलाओं के सोंच को ही ले। एक समय था जब औरतों में इतनी हिम्मत भी नही थी कि वे अपने साथ होने वाले अन्याय की चर्चा कर पाती। पुलिस तथा कानून की मदद लेने की तो कल्पना करना भी मुश्किल था। परिवार की भलाई तथा इज्जत के नाम पर सब तरह के अन्याय और शोषण को औरतें चुपचाप झेल लेती थी। सार्वजनिक स्थानों पर छेड़छाड़ या मौखिक अपमान झेलना महिलाएँ अपनी नियति मानती थी। घर की लड़की का बलात्कार होने, उसे अगवा किए जाने, छेड़छाड़ अथवा इसी तरह के अन्य सेक्स संबंधी अपराधों की चर्चा या रिपोर्ट करना सामाजिक दृष्टि से अपमानजनक तथा नुकसान देह समझ जाता था। यही नही जो लड़की ससुराल से सताएँ या पीड़ित किए जाने पर अपने माँ–बाप के घर लौट आती थी उसे माँ–बाप चाह कर भी शरण देना या उसकी आहत भावनाओं के सांत्वना देने का प्रयास नही कर पाते थे। पूरा सामाजिक सोच महिलाओं को सब सामाजिक मशीन का एक ऐसा पूर्जा समझने का था जिसका काम हर हालत में उस मशीन को सुचारू रूप से चलने में मदद करना है। हर महिला किसी भी विवाद मे हमेशा किसी महिला का नही, बल्कि पारिवारिक हित यानी पुरूष वर्ग के पक्ष का ही समर्थन करती थी।[(2)] इसलिए यह कुटिल कहावत प्रचलित की गई कि **औरत ही औरत की दुश्मन है।**

RRIJM 2015, All Rights Reserved

परंतु पिछले कुछ दशको से धीरे–धीरे इस सोच मे बदलाव आता दिखाई दे रहा है। अब लड़कियो के प्रति होने वाले अपराधों को पहले जितने परिणाम में छिपाया नही जाता है। यहा तक कि माताएं अब अपनी बच्चियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की सूचना पुलिस तक पहुँचाने लगी है। बहुएँ पति या सास ससुर की ज्यादतियों का प्रतिकार करती है और शहरों में, विशेषकर शिक्षित परिवारों के माँ–बाप ससुराल में अन्याय झेलने वाली अपनी बेटियों के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए उन्हे न्याय पाने और जिंदगी फिर से शुरू करने के प्रयासो में हर संभव सहयोग देते है।

ऐसे अनेक उदारण है, जिनमे महिलाओं ने व्यक्तिगत स्वर पर अपने अपमान का घोर विरोघ किया और अपराधियों को दंड दिलाने का प्रयास किया। इनमें राजस्थान का **भंवरी देवी** का नाम गर्व के साथ लिया जा सकता है। भंवरी देवी अपने साथ हुए अत्याचाार को नारी जाति के प्रति अन्याय का सार्वजनिक विषय बना दिया तथा न्याय पाने के लिए कड़ा संघर्ष किया। इसी प्रकार चंड़ीगढ में एक उच्च पुलिस अधिकारी की छेड़छाड़ की घटना के मामले में एक महिला ने वर्षो तक अदालती लड़ाई जारी रखी और सुप्रीम कोर्ट तक गई। दिल्ली विश्वविद्याालय की एक अध्यापिता ने एक प्रोफेसर द्वारा की गई छेड़छाड़ का मामला उठाया और जांच के बाद उस प्रोफेसर को निलंबित कर दिया गया। एक महिला पत्रकार ने हिमाचल प्रदेश राजनेताओं, मंत्रियों, उच्च अधिकारियों जैसे शक्तिशाली लोगों खिलाफ शिकायत करने की जो हिम्मत सीमित स्तर पर ही सही, महिलाएँ दिखाई है वह उनके बढ़ते विश्वास तथा साहसपूर्ण दृष्टिकोण की प्रतीक है। यद्यपि अब भी बहुत से अपराधों की चर्चा या रिपोर्ट नही होती फिर भी इस मोर्चे पर हालत निरंतर बेहतर हो रही है।[3]

महिला संगठनो की भूमिका का भी बहुत महत्व है। स्वतंत्रता के पहले महिला अधिकारों की आवाज उठाने वाले संगठनों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। परंतु पिछले पाँच दशको में महिलाओं के हकों के पक्ष में तथा उनके प्रति ज्यादतियों के विरोध में आवाज उठाने तथा आंदोलन चलाने वाले अनेक महिला संगठन सक्रिय हो गए है। राष्ट्रीय महिला आयोग तथा राज्य महिला आयोगों का गठन महिलाओं के संगठित प्रयासों की सुखद परिणति माने जा सकते है। स्वयं सेवी संगठनों में महिला दक्षता समिति, कर्मिका, नारी रक्षा समिति तथा सहेली जैसी संस्थाओं ने दिल्ली में दहेज विरोधी अभियान चलाने में अग्रणी भूमिका निभाई है। दहेज के विरोध मे पहला मोर्चा 1975 में हैदरावाद मे निकाला गया जिसका नेतृत्व प्रगतिवादी महिला संगठन ने किया था। **भंवरी देवी** कांड तथा **रूप कंवर सती** मामले में महिला संगठनो ने देश भर मे आवाज उठाई तथा दिल्ली, जयपुर और कई अन्य स्थानों पर मोर्चे निकाले। यौन हिंसा के विरोध में हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली आदि मे **फोरम अगेंस्ट रेप**, **अखिल भारतीय महिला परिषद्**, आल इंडिया वुमेन फेडनेशन आदि संगठनों ने आंदोलन चलाया। परंतु दुख की बात यह है कि इन संगठनों की गतिविधियां अभी तक मुंख्यतया शहरों तक सीमित हैं आशा की जानी चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इनकी शाखाएँ खुंलेंगी।

अपराधों के संदर्भ में पुलिस और न्यायपालिका की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हैं ये दोनों व्यापक समाज के ऐसे अनियार्य अंग है जिन्हें छोड़कार महिलाओं कें प्रति ज्यादतियों का सही आकलन नही हो सकता। वास्तव में महिलाओं को ज्यादतियों व शोषण से मुक्ति दिलाने में पुलिस काफी हद तक मददगार बन सकती है। पुलिस में महिलाओं पर होने वाले अपराधों तथा दहेज आदि समस्याओं से अलग से निपटाने के लिए पहले कोई विभाग नही था। परंतु अब कई राज्यों तथा बड़े शहरों में महिला अपराध ब्यूरों या सेल बनाए गए है जो सिर्फ उन्ही शिकायतो की छानबीन या आगे की कार्यवाई करते है जिनमें महिलाओं कें साथ ज्यादती होती है। इन विभागों के गठन से महिलाएँ निडर होकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकती हैं। एक अच्छी बात यह है कि इन सेलों में महिला इंस्पेक्टर और सब इस्पेक्टर तैनात होने से औरतों को अपने साथ हुए अपराध का ब्योरा देने की सुविधा रहती है क्योंकि पुरूषों के सामने बहुत सी बाते अपने मुँह से कहने में औरतों को शर्म महसूस होती है। इसके अलावा पुलिस बलों में महिला अधिकारियों का कांस्टेबलों की भी भरती होने लगी है जो पहले एक सपना लगता था। महिला पुलिसकर्मी स्वभाविक रूप से महिलाओं की तकलीफों व समस्याओं को बेहतर ढंग से समझती है और अधिक कारगर ढंग से कार्यवाही कर सकती है।

जाहिर है समाज कें विभिन्न वर्गो तथा अंगो में महिलाओं के अधिकारो तथा उन पर होने वाली ज्यादतियों को लेकर धीरे–धीरे जागरूकता बढ़ रही है। हमारे देश मे सभी सरकारें महिलाओं को समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध रही हैं अतः लोगों को जागरूक बनाने की दिशा में सरकारी स्तर पर भी विभिन्न माध्यमों से प्रयास होते रहे है। इस सच्चाई से इन्कार नही किया जा सकता कि महिलाएँ जतनी गति से अधिकार संपन्न और आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बनेगी उसी गति से समाज में उसका दर्जा बढ़ेगा तथा उसके प्रति अन्याय एवं शोषण में कमी आएगी।[4]

निष्कर्ष–

महिलाओं कें साथ–साथ समूचे समाज, विशेषकर पुरूष की दृष्टि और आचरण में परिवर्तन लाना होगा। स्त्री

मात्र के प्रति जो भेदभाव और दुराग्रह हमारे धर्म, रीति–रिवाजों, साहित्य, कलाओं तथा परंपराओं मे जाने–अनजाने और प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से विद्यमान है, उसे दूर करना इस दूसरे चरण का पहला सोपान होगा। लड़की की जगह लड़के की कामना करना, लड़की के जन्म को अशुभ मानना, बेटी को बोझ और पराया धन समझना, शिक्षा और लालन–पालन में बेटा–बेटी में अंतर करना आदि बाते प्रत्येक व्यक्ति को सहज ही संस्कारो में मिल जाती है। हमारा सामाजिक जीवन, धार्मिक मान्यताएँ, पाठ्य पुस्तके, कथा, कहानियाँ और अन्य साहित्य इन मान्यताओं को पुष्ट करते रहे है। बाहरी आधुनिकता हमारे भीतर की संकीर्णता और पुरातनता को नही चीर पाती और हम अन्याय और शोषण को रीति–रिवाज तथा परंपरा समझकर उसे जारी रखते है। इस सब शोषकारी मान्यताओ व रिवाजों को उखाड़ कर उनके स्थान पर समतावादी मान्यताएँ अपनाए बिना समानता की मंजिल तक पहुँचना संभव नही है। इक्कीसवी सदी की यही बस बड़ी चुनोती है। केवल नारी नही बल्कि पुरूष और समूचे समाज के दृष्टिकोण में बदलाव ही नारी समानता का दूसरा चरण है।

संदर्भ सूची :

1. कृष्णराज डॉ० मैथ्रयी कृष्णराज विमेन एंड क्राट्स, 1987, रिसर्च यूरिट ऑन विमेंस स्टडीज एस0 एन0 डी0 टी0 विश्वविद्याालय एन9 सी9 एस0 ई0 डब्लू।
2. रिपोर्ट ऑफ द वर्कशॉप आन विमेन सोशल फोरेस्ट एण्ड वेस्ट्रलैड डिवेलपमेंट, 1987, सेंटर फार विमेंस, डिवलपमेंट स्टीडीज।
3. द समरी ऑफ स्टडी ऑन के0 बी0 आई0 सी0 सेटर फॉर विमेंस डिवेलपमेंट स्टडीज।
4. विमेंन वेंडर्सइन इंडियास आर्बन सेंटर्स, 1987, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन ऐफैयर्स।

RRIJM 2015, All Rights Reserved